छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर

क्रमांक 5828/वि.स./स्था /2019 रायपुर, दिनांक 25/5/2019

// कार्यालय-आदेश //

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में बायोमेट्रिक्स अटेन्डेंस सिस्टम में उपस्थिति दर्ज कराने के संबंध में सचिवालयीन आदेश क्रमांक 1455/वि.स./स्था./2015 दिनांक 09.09.2015 जारी किया गया है एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 2278/वि.स./स्था./2016 दिनांक 20.07.2016 के तहत विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं ।

किन्तु यह देखा गया है कि कतिपय अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा उक्त सचिवालयीन आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने हेतु प्रवेश एवं निर्गमन के समय प्रविष्टि दर्ज करना आवश्यक है । उक्त दोंनो प्रविष्टयां होने पर ही उपस्थिति मान्य की जायेगी तथा शासकीय व निजी कार्य से अथवा भोजनावकाश में बाहर जाते एवं आते समय भी व्ही.आई.पी. गेट पर स्थापित बायोमेट्रिक्स अटेन्डेंस सिस्टम में प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य है ।

व्ही.आई.पी. गेट पर तैनात सुरक्षा अधिकारी/कर्मचारी भी कृपया ध्यान दें कि कार्यालय समय के दौरान शासकीय/निजी कार्य से भवन के मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर जाते/आते समय अधिकारी/कर्मचारी व्ही.आई.पी. गेट पर स्थित बायोमेट्रिक्स मशीन में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बाद ही मुख्य भवन से बाहर जायें एवं अनुमति हेतु जारी की जाने वाले अनुमति पत्र का संधारण करें एवं किसी अधिकारी /कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति पत्र अथवा बायोमेट्रिक्स सिस्टम में प्रविष्टि किये बिना बाहर जाने पर उनके नाम की प्रविष्टि पृथक पंजी में दर्ज करें एवं पंजी दूसरे दिन प्रात: 11.00 बजे स्थापना शाखा के प्रभारी को अवलोकनार्थ भेजें ।

समस्त संबंधित अटेंडेंस सिस्टम में उपरोक्तानुसार जारी कार्यालय-आदेश का पालन सुनिश्चित करें ।

आदेश से,

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 5829/वि.स./स्था /2019 रायपुर, दिनांक 25/5/2019

प्रतिलिपि

01. मान. अध्यक्ष, छ.ग.वि.स. के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. सचिव, छ.ग.वि.स. सचिवालय के निज सचिव को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
03. सर्वसंबंधित अधिकारी/ कर्मचारी, छ.ग.वि.स. सचिवालय की ओर पालनार्थ।
04. सर्वर कक्ष ।

25/5/19

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

C:\Users\win7\Documents\order and karyalya suchana.docx24: